

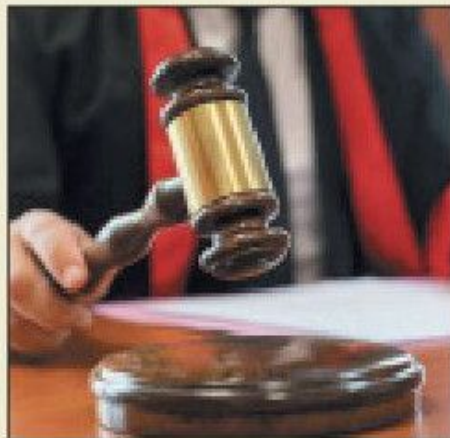
मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक से मोबाइल लूटने मारा था चाकू, दो आरोपियों को उम्रकैद

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक पर चाकू से हमला कर 13 हजार रुपये की मोबाइल लूटने वाले दो बदमाशों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के साथ एक बदमाश को 40 तथा दूसरे बदमाश पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश शैलश शर्मा की कोर्ट में हुई।

लोक अभियोजक राहुल गुप्ता के अनुसार, कोर्ट ने शेख शब्बीर, आशीष मिर्झा उर्फ लियॉन उर्फ बबलू को कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बदमाशों ने 1 सितंबर 2022 को मॉर्निंग वॉक पर निकले देवेंद्र साहू से गोंदवारा एकता नगर के पास लूट की थी। देवेंद्र घटना दिनांक को तड़के पौने पांच बजे के करीब एकता नगर के पास पहुंचा था। इस दौरान दोनों बदमाश एक्टिवा पर सवार होकर देवेंद्र के करीब पहुंचे। एक बदमाश ने देवेंद्र का कॉलर पकड़ लिया। दूसरे बदमाश ने जेब से चाकू निकालकर देवेंद्र पर हमला किया। इस

तीन वर्ष पूर्व युवक से 13 हजार रुपए का मोबाइल लूटकर भागे थे बदमाश



कोर्ट की टिप्पणी- आज आम नागरिक का जीवन असुरक्षित, इसलिए केवल चोट की प्रवृत्ति महत्व नहीं रखती

कोर्ट ने कहा-

ऐसी घटना से भय का वातावरण होता है निर्मित

आरोपियों को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आज आम नागरिकों का जीवन असुरक्षित हो गया है। इसलिए केवल चोट की प्रवृत्ति महत्व नहीं रखती है, बल्कि यह चिंता का विषय है कि कोई व्यक्ति सुबह या कभी भी घर से घूमने या जाने के लिए निकलता है और उस व्यक्ति के साथ लूटपाट जैसी घटना कारित कर धारदार हथियार से चोट पहुंचाई जाती है, उस स्थिति में उस व्यक्ति तथा उसके परिवार एवं आसपास के लोगों में भय का वातावरण निर्मित हो जाता है।

दौरान देवेंद्र ने बचने के लिए चाकू पकड़ा तो उसकी हथेली कट गई। इसके बाद बदमाशों ने देवेंद्र की जेब से मोबाइल लूट

फरार हो गए। भागते हुए देवेंद्र ने बदमाशों की गाड़ी नंबर नोट कर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा।